न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 07 सन 2019

अनवान :–

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. नरसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
7. जयलाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. समेस्ता देवी पुत्री ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. विद्या देवी पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राकेश पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. महेन्द्र पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. साहबराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. भीमराज पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
16. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. रोहिताश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
20. रमेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
21. आदराम पुत्र रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
22. विमला पुत्री रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 14/10/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के ख0न0 260 की 8.208 हैक्ट भूमि ख0न0 448 की 3.920 हैक्ट कुल 2 किता की 12.128 हैक्ट भूमि स्थित है तथा रोही मौजा भूकरका के ख0न0 296 की 12.191 हैक्ट भूमि स्थित है जो उपरोक्त भूमि लेखराम वल्द गणेशाराम के नाम से दर्ज थी पूर्व में गणेशा पुत्र खियाराम द्वारा अर्जित भूमि थी तथा लेखराम पुत्र गणेशाराम के दो सन्ताने हुई। जिसमें रूपा व तानी उत्पन्न हुई तानी के भागीरथ व तथा इन्द्राज, कृष्ण, बलदेव, औमप्रकाश व रामजीलाल साहबराम, भीमराज कमला, सीता, शारदा, महेन्द्र आदि उत्पन्न हुऐ तथा रूपा के मुखी, रामेश्वरलाल, रणजीत लावल्द फौत, आदराम विमला उत्पन्न हुवे।

अप्रार्थी स० 5 के साथ अप्रार्थीगण स० 2 ता 4 ने परस्पर दुरःभी सन्धि करके मातहत अदालत के समक्ष अप्रार्थी स० 2 ता 4 ने इस आशय का पेश किया कि वादी गांव देईदास तहसील नोहर के वासिन्द पेशा काश्तकार है वादी स० 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी स० 1 भागीरथ के नाम रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा राही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की 12.191 हैक्ट बारानी भूमि खातेदारी दर्ज थी उपरोक्त भूमि प्रतिवादी स० 1 की अपने नाना लेखुराम से विरास्तान में मिली है अतः पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण स० 1 ता 3 का जन्म से ही प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा जिसे वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स० 1 भागीरथ गलत लोगो के प्रभाव में है तथा वादीगण स० 2 ता 4 का उनके हिस्से से महरूम करना चाहता है आदि आदि प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी भागीरथ ने उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया इकबाल दावा को आधार मानते हुये वाद वादीगण के पक्ष में दिनांक 16.10.2002 को निर्णय व डिकी पारित कर दी। जिसके अनुसार रोही मौजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की 12.191 हैक्ट अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे रेस्पो. स० 2 ता 5 को बतौर खातेदार काश्तकार ब.हि.ब. घोषित कर दिया न्यायालय हाजा ने वादी इन्द्राज कृष्ण कुमार, बलदेव, जो कि वर्तमान में अप्रार्थी स० 2 ता 4 है ने भागीरथ के विरूद्ध वाद पेश कर पैतृक भूमि घोषित कर बाई बर्थ राईट की मांग की थी जिसे न्यायायालय हाजा रोही मौजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की 12.191 हैक्ट अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि में रेस्पो स० 2 ता 65 को पैतृक भूमि मानते हुवे वाद दिनांक 16.10.2002 को डिकी कर दिया चूंकि उक्त भूमि लेखु वल्द गणेशा की थी जिसके दो सन्ताने रूपा व तानी थी। तानी ने खुद ने आपस में मिली भगत कर रूपा की रोही मौजा देईदास व भूकरका की 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थी। उक्त भूमि प्रार्थी स० 2 ता 5 ने अपने नाम दर्ज करवाली जबकि रूपा की भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार थे। अप्रार्थी स० 2 ता 5 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि रूपा की भूमि अपीलान्ट व तरतीबी अप्रार्थी खातेदार काश्तकार थे तथा निर्णय व डिकी दिनांक 30.5.2000 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा अपील स० 259/2016 दिनांक 27.3.2018 को अपास्त किया जा चुका है उक्त भूमि लेखुराम वल्द गणेशा की खातेदारी कृषि भूमि थी। अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री दिनांक 30.5.2000 प्रकरण स० 88/95 भागीरथ बनाम तानी आदि को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 27.3.2018 अपील स0 259/2016/223 आर.टी. एक्ट बअनवानी मुखी बनाम भागीरथ व एक अन्य अपील मुखी बनाम इन्द्राज आदि अपील सख्या 121/2018/223 आर.टी.एक्ट निर्णय दिनांक 7.9.2019 द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 16.10.2002 प्रकरण स० 103/2002 बअनवानी इन्द्राज बनाम भागी[illegible] अपास्त कर दिया गया। प्रत्यास्थपन वाद भूमि का त्मेजपजनजपवद किया [illegible] लेखु वल्द गणेशा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही मौजा देईदास / भूकरका की भूमि रोही मौजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख०न० 296 की 12.191 हैक्ट अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

को पुनः अप्रार्थीगण से नाम कलमजन किया जाकर लेखराम वल्द गणेशाराम के नाम से दर्ज की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 19, 20 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रौही मौजा देईदास तहसील नोहर के खसरा नम्बर 260 की 8.208 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 448 की 3.920 हैक्टेयर कुल 2 किता की 12.128 हैक्टेयर भूमि स्थित है, तथा रौही मौजा भुकरका के खसरा नम्बर 296 की 12.191 हैक्टेर भूमि स्थित है जो उपरोक्त भूमि लेखराम वल्द गणेशा के नाम से दर्ज थी, स्वीकार है तथा शेष मद स्वीकार नहीं है, तथा उक्त भूमि वसीयत के आधार पर अप्रार्थी नम्बर 4 अकेला खातेदार काश्तकार हुआ। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी तथा लेखराम ने अपने उपरोक्त भूमि दिनांक 22–5–1987 को अप्रार्थी नम्बर 4 के पक्ष में वसीयत कर दी तथा वसीयत के आधार पर अप्रार्थी नम्बर 4 अकेला खातेदार काश्तकार हुआ तथा अप्रार्थी नम्बर 4 को अपने उपरोक्त खातेदारी भूमि को किसी अन्य को दानपत्र व विक्रय व अन्य किसी भी माध्यम से सहमति देने का अधिकार कानूनन निर्धारित है तथा उक्त भूमि से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 22 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही कोई सरोकार है तथा उक्त भूमि वसीयत दिनांक 22–5–87 पंजिकरण दिनांक 19–7–1995 के आधार पर अप्रार्थीगण नम्बर 4 को लेखराम से प्राप्त शुदा है जिसका कानून में स्व–अर्जित की श्रेणी में रखा जाता है तथा उक्त भूमि जब तक वसीयत सिविल कोर्ट द्वारा केन्सिल नहीं करवाली जाती है, तब तक किसी प्रकार प्रार्थीया कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है तथा ना ही लेखराम की भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 22 को कोई हक व हिस्सा है तथा प्रार्थना पत्र काबिल इखराजी है। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशाराम की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी तथा लेखराम ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की वसीयत दिनिांक 22–5–1987 को अप्रार्थी नम्बर 4 भागीरथ के पक्ष में कर दी थी तथा उक्त वसीयत का रजिस्ट्रीकरण उप पंजियक कार्यालय नोहर में दिनांक 19–7–1995 को किया जा चुका है तथा उक्त भूमि भागीरथ ने अपने पोत्र रोहिताश पुत्र कृष्णकुमार व सुरेश पुत्र इन्द्राज के पक्ष में है दानपत्र तस्दीक रजिस्ट्रड करवा दिया है तथा जिनके केन्सीलेशन का दावा प्रार्थीया वगैरा ने सिविल कोर्ट में दावा पेश कर रखा है तथा राजस्व अपील अधिकारी द्वारा रिमाण्ड पत्रावली में साक्ष्य व सबूत के आधार पर निर्णय होना है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि सम्बन्धित कोई अभी फाईनल कार्यवाही नही हुई है इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत्त धारा 144 सीपीसी. को लाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. फाईनल कार्यवाही के पश्चात लागू होती है तथा प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि मृतक लेखराम के करवाना चाहती है नामान्तरण मृतक व्यक्ति के नाम उसकी वसीयत के केन्सिल होने से पहले नही आ सकता है वैसे भी नामान्तरण एक राजकोषिय कार्यवाही इससे किसी पक्षकार का ना तो हक खत्म होता है तथा ना ही अब तय होता है इसलिये सक्षम कोर्ट में दावा वगैरा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी सरसरी प्रार्थना पत्र पर कानूनन कोई राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सम्बन्धित कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थना पत्र इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 88/95 निर्णय दिनांक 30.05.2000 अनवानी भागीरथ बनाम तानी को वाद वादी डिक्री किया गया है एवं प्रकरण संख्या 103/2002 अनवानी इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ आदि दिनांक 16.10.2002 को वाद वादी डिक्री किया गया है। उक्त दोनो निर्णयों की अपील मुखी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण संख्या 88/95 अनवानी भागीरथ [illegible] निर्णय दिनांक 30.05.2000 को अपास्त किया गया है एवं [illegible] द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण संख्या 103/2002 अनवानी इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ आदि निर्णय दिनांक 16.10.2002 को अपास्त किया गया है एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश स0 1 नोहर द्वारा दिनांक 31.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

2025 को पारित आदेश के मुताबिक इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि लेखराम द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में दिनांक 22–05–1987 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर भूमि का नामांतरण अपने नाम दर्ज करवाने व अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से निषिद्ध रहें तथा प्रतिवादी सं० 2 ता 4 निर्णय व डिक्री के आधार पर तथा प्रतिवादी सं० 5 व 6 अपने पक्ष में निष्पादित दानपत्र दिनांक 29–03–2016 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से निषिद्ध रहें।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2000 व 16.10.2002 की पालना में तहसीलदार नोहर ने उक्त आदेशों की पालना में वाद भूमि के नामान्तरण दर्ज व तस्दीक कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 30.05.2000 व 16.10.2002 की अपील रूपा के वारिसान मुखी के माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने बाद सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 30.05.2000 व माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2018 को उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.10.2002 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के निर्णय के मुताबिक भी अप्रार्थीगण को सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि का नामांतरण अपने नाम दर्ज नही करवाने व अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने एवं दानपत्र के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी तरीके से मुंतकिल नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वसीयत बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश की गई है लेकिन अप्रार्थी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत रिट/अपील की चित्रप्रति पर दर्ज नम्बर भी अंकित नही है अर्थात उक्त अपील/रिट माननीय न्यायालय में दर्ज बाबत ठोस साक्ष्य पेश नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 व 07.09.2018 की अपील सक्षम न्यायालय में पेश की गई है या नही बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 88/95 निर्णय दिनांक 30.05.2000 अनवानी भागीरथ बनाम तानी को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2018 को अपास्त किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण संख्या 103/2002 अनवानी इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ आदि दिनांक 16.10.2002 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 07.09.2018 को अपास्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा रोही मौजा देईदास / भूकरका की भूमि रोही मौजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख०न० 296 की 12.191 हैक्ट अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि को पुनः अप्रार्थीगण से नाम कलमजन किया जाकर लेखराम वल्द गणेशाराम के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्ज्ञना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाना चाहता है जिसका प्रार्थीगण अधिकारी भी है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास / भूकरका की भूमि रोही मौजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख०न० 296 की 12.191 हैक्ट अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि को पुनः अप्रार्थीगण से नाम कलमजन किया जाकर लेखराम वल्द गणेशाराम के नाम दर्ज की जाती है। आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 14/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर